रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 134] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 1977/श्रावण 11, 1899
No. 134] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 1977/SRAVANA 11 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 2nd August, 1977

SUBJECT.—*Issue of import licences to established importers against UK/India Maintenance Grant* 1977—£ 1 5 *million Segment for established importers*

No. 54-ITC(PN)/77.—The U.K. Government have made available, as part of the assistance for Indian economic development, a Grant of £ 1.5 Million to meet the requirements of UK oriented firms, for import of spare parts required for servicing UK equipment in the country

2 It has been decided that this Grant may be used for issuing licences for import of spares to the representatives of British manufacturers of machinery and equipment, who have been receiving import licences as established importers or under earlier Kipping Loans, to import spare parts needed for servicing and maintaining the equipment supplied by their principals Licences will also be issued to Established Importers for import of spares for printing machinery manufactured in the U.K

3. As the amount available for the purpose is relatively small, preference will be given to importers of spare parts who have commitments to service existing equipment of British origin Applications from eligible importers should be supported by information as per proforma given by the annexure to this Public Notice In case, the application is not supported by the annexure or incomplete/faulty information is given in the annexure, the application will be summarily rejected It may be particularly noted that only one application should be submitted by each eligible importer If more than one application is submitted by an importer only the first application will be considered

4. The terms and conditions which will be applicable to the licences to be issued against this Grant are given in the Ministry of Commerce Public Notice No 44-ITC(PN)/77 dated the 7th July, 1977

5 Applications may be submitted in the prescribed form and manner to the Chief Controller of Imports and Exports (GLS) by the 30th September, 1977

ANNEXURE

PROFORMA

1 Name of the firm:

2 Whether the importer has any British Collaboration Technical or Financial

(a) In case the importer has financial collaboration the percentage of British Capital participation may be given

3 Name of the British Manufacturer(s), whom the Indian Importer is representing

4 Details of quota certificates held by the importer may be given as follows —

Certificate No. and Date	*Quota*	*Item*	*Value (Rs /lakhs)*
(i)			
(ii)			
(iii)			

(a) Total value of all the quota certificates held by the importers.

5. Value of actual imports as established importer from the UK during 1974-75 and 1975-76, 1976-77 may be given as follows

Category of imports	1974-75	1975-76	1976-77
	(Value in Indian Rupees).		
(a) Imports against quota licence			
(b) Imports against earlier Kipping licences and/or UK India Maintenance Loan in the capacity of established importer.			
(c) Adhoc licences issued to manufacturers for import of stock and sale spare parts.			
Total			

NOTE—Separate figures must be given for each category of imports The import figures should be certified by the auditors.

6 Value and date of the import licences issued against UK India Maintenance Loan 1974 (No 2). Established Imports sector and UK India Maintenance Grant 1975

Signature ....

for and on behalf of ... .

A. S. GILL,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1977

विषय—यू० के० भारत औद्योगिक अनुदान 1977 के मद्दे प्रतिष्ठित आयातकों को आयात लाइसेंस जारी करना—प्रतिष्ठित आयातकों के लिए 1.5 पौंड मिलियन खण्ड।

सं० 54-आईटीसी(पीएन)/77—यू० के० सरकार ने भारतीय आर्थिक विकास सहायता के रूप में ब्रिटेन अभिमुख फर्मों की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में ब्रिटिश उपकरणों की मरम्मत के लिए अपेक्षित फालतू पुर्जों के आयात के लिए 1.5 पौण्ड मिलियन का अनुदान उपलब्ध करवाया है।

2. यह निश्चय किया गया है कि इस ऋण का उपयोग उनके स्वामियों द्वारा सभरित उपस्कर की मरम्मत और रख-रखाव के लिए आवश्यक फालतू पुर्जों का आयात करने के लिए मशीन और उपकरणों के ब्रिटिश निर्माताओं के उन प्रतिनिधियों का फालतू पुर्जों के आयात के लिए जो प्रतिष्ठित आयातक की तरह या पहले के कीपिंग ऋण के अन्तर्गत आयात लाइसेंस प्राप्त करते रहे हैं, लाइसेंस जारी करने के लिए किया जाए।

3. चूंकि इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध धन अपेक्षाकृत कम है फालतू पुर्जों के उन आयातकों को अधिमान्यता दी जाएगी जिन्होंने ब्रिटिश मूल के वर्तमान उपकरणों की सफाई के सौदे कर रखे हैं। पात्र आयातकों के आवेदन-पत्रों के साथ इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सूचनाएं दी जानी चाहिएं। यदि किसी मामले में आवेदन-पत्र अनुबन्ध द्वारा समर्थित नहीं होता या अधूरी गलत सूचना दी जाती है तो आवेदन-पत्र बिना कोई कारण बताए सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा। इस बात पर विशेषकर ध्यान दिया जाए कि प्रत्येक पात्र आयातक केवल एक आवेदन-पत्र दे। यदि किसी आयातक ने एक से अधिक आवेदन-पत्र दिए हों तो केवल प्रथम आवेदन-पत्र पर ही विचार किया जाएगा।

4. इस अनुदान के मद्दे जारी किए जाने वाले लाइसेंसों के लिए लागू होने वाली शर्तें, वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 44-आईटीसी(पीएन)/77 दिनांक 7 जुलाई, 1977 में दी गई है।

5. आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में एवं विधि से मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली (जी० एल० एस०) को 30 सितम्बर, 1977 तक प्रस्तुत किए जायें।

अनुबन्ध

प्रपत्र

1. फर्म का नाम

2. क्या आयातक के पास कोई तकनीकी या वित्तीय ब्रिटिश सहयोग है

(क) यदि आयातक के पास वित्तीय सहयोग है तो ब्रिटिश पूंजी सहयोग के हिस्से का प्रतिशत दिया जाए

3 उस ब्रिटिश विनिर्माता का नाम जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय आयातक कर रहा है।

4. आयातक के कोटा प्रमाण-पत्रों का विवरण निम्न प्रकार से दिया जाए —

प्रमाणपत्र स०	दिनांक	कोटा	मद	मूल्य कि०ग्रा०	लाखों मे
(1)					
(2)					
(3)					

(क) आयातक द्वारा धारित सभी कोटा प्रमाण-पत्रों का कुल मूल्य।

5 1974–75, 1975–76, 1976–77 वर्षों के दौरान ब्रिटेन से प्रतिष्ठित आयातक के रूप मे वास्तविक आयात का मूल्य निम्न प्रकार से दे :—

आयात की श्रेणी	1974–75	1975–76	1976–77
		(भारतीय रुपए मे मूल्य)	
(क) कोटा लाइसेंस के मद्दे आयात			
(ख) प्रतिष्ठित आयातक के रूप मे पहले से प्राप्त लाइसेंस के और या यू० के० भारत अनुरक्षण ऋण के मद्दे-आयात।			
(ग) स्टाक और बिक्री के फालतू पुर्जों के आयात के लिए विनिर्माताओं को जारी किए गए तदर्थ लाइसेंस			
कुल ..	....	....	

6. यू०के० भारत अनुरक्षण ऋण 1974 (सं० 2) के मद्दे जारी आयात लाइसेंस के मूल्य और दिनांक .... प्रतिष्ठित आयातक क्षेत्र और यू०के०, भारत अनुरक्षण ऋण 1975

टिप्पणी—आयात की प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक से आंकड़े अवश्य दिए जाने चाहिए। आयात आंकड़े लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।

हस्ताक्षर ....

के लिए और उनकी ओर से।

ए० एस० गिल,

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977